# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / पीए / आयुक्त / 2009 / 705 से 715 दिनांक :– 24/04/20

## कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आज दिनांक 22.04.09 को अभियांत्रिक शाखा में कनिष्ठ लेखाकारों के कक्ष का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में निम्न कमियां पाई गई।

1. निरीक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्यो की समस्त पत्रावलियां कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। कनिष्ठ लेखाकारों ने अवगत कराया कि कुछ पत्रावलियां कनिष्ठ अभियन्ताओं के पास है एवं कुछ ठेकेदारों के पास भी हो सकती है। कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा मूमेन्ट रजिस्टर का भी संधारण नहीं किया जा रहा है। सूरसागर क्षैत्र के कार्यादेश रजिस्टर के अनुसार अनुबन्ध क्रमांक 153, 158, 160, 160ए व 161 की पत्रावलियां की जानकारी चाहने पर कनिष्ठ लेखाकार द्वारा पत्रावलीय के संबंध में जानकारी देने में असमर्थ रहें। अतः तीनों कनिष्ठ लेखाकारों को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 28.04.09 तक समस्त पत्रावलियां अपनी शाखा में प्राप्त कर ले। समस्त अधिशाषी अभियन्ता दिनांक 28.04.09 तक समस्त पत्रावलियां कनिष्ठ लेखाकार के पास उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे एवं सूची बनाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें।
2. कार्यादेश रजिस्टर में बीच में **'ए'** नम्बर डाले गये है जो गलत है। भविष्य में इसकी पुर्नावृर्ति नहीं होनी चाहिए।
3. पत्रावलियों के निरीक्षण में पाया गया कि पृष्ठाकन नहीं है एवं पत्रादि भी क्रमानुसार नहीं लगे हुए है। अतः पत्रावलियों में पृष्ठाकन करे तथा पत्रादि क्रमानुसार लगावें।
4. पत्रावलियों के निरीक्षण में यह भी पाया गया कि अनुबन्ध संलग्न नहीं है एवं अपूर्ण है। कार्य समाप्ति तिथि निकल चुकी है। जैसे अनुबन्ध क्रमांक 217 / 08–09 वार्ड नं. 17 जगदम्बा कॉलोनी में रोड़ व नाली निर्माण का कार्यादेश दिनांक 14.10.08 को जारी किया गया है। कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 27.01.09 थी, जो निकल चुकी है। पत्रावली में न तो अनुबंध है ना ही प्रगति रिपोर्ट है तथा अमानत राशि भी जब्त नहीं की गई है। अतः कार्य की क्या प्रगति है, यदि ठेकेदार ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया है तो अमानत राशि जब्त करें। यदि कार्य प्रारम्भ कर दिया है तो ले–आऊट देने की तिथि अंकित करते हुये कार्य की प्रो–रेटा प्रोगेस बतावें। यह कार्यवाही अधिशाषी अभियन्ता दिनांक 28.04.09 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
5. किसी भी पत्रावली में विस्तृत अनुमान व ड्राईग / नक्शे संलग्न नहीं है। भविष्य में इसके बिना तकनिकी स्वीकृति जारी नहीं करें।
6. समस्त रजिस्टरों में भी पृष्ठाकन करें। तीनों अधिशाषी अभियन्ता दिनांक 28.04.09 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण कर चालू पत्रावलियों की सूची आदिनांक तक भी प्रगति रिपोर्ट सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

7. प्रो–रेटा कार्य की प्रगति व रनिंग बिल प्रस्तुतिकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। संबंधित अधिशाषी अभियन्ता प्रत्येक माह के आखरी सप्ताह में प्रत्येक पत्रावली पर प्रगति (भौतिक व वित्तिय) आवश्यक रूप से अंकित करेंगे एवं वित्तिय व लेखा नियमों के अनुसार रनिंग बिलों को नियमित रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(गौरव गोयल)
आई.ए.एस.
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक/पीए/आयुक्त/2009/705 से 715 दिनांक :– 24/4/2009
प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. श्री प्रदीप माथुर, श्री बुद्वाराम चौधरी, श्री सुनिल जैन कनिष्ठ लेखाकार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. श्री ..............................................................................

(गौरव गोयल)
आई.ए.एस.
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर